राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1197/2014/नागौर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
नागौर।

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स गुलाबचन्द प्रकाशचन्द,
मेडता, नागौर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक
के.जी.खत्री,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 06/09/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 51/13–14/वैट/नागोर में पारित आदेश दिनांक 03.04.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, नागौर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.02.2013 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 24(3) के तहत् आरोपित कर राशि रूपये 93,302/– एवं उस पर आरोपित ब्याज राशि रूपये 20,768/– को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा ग्वारगम एवं ऑयलसीड (सरसों) की बिक्री के विवरण पत्र प्रस्तुत किये गये, जिसमें प्रस्तुत वैट–10ए के पार्ट बी के कॉलम 1(i) में राशि रूपये 18,66,045/– की अन्य कटौतियां दर्शायी गई। सशक्त अधिकारी द्वारा अन्य कटौतियों के सत्यापन हेतु लिखे जाने के पश्चात् भी उनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया ओर न ही लेखापुस्तकों का सत्यापन करवाया गया। इस बिक्री के सत्यापन के अभाव में सशक्त अधिकारी द्वारा इस बिक्री को 5 प्रतिशत से कर योग्य मानकर कर राशि रूपये 93,302/– एवं कर को लेट जमा मानते हुए उस पर ब्याज राशि रूपये 20,768/– का आरोपण कर दिया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्को में कहा कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत वैट–10ए के पार्ट बी के कॉलम 1(i) में राशि रूपये

लगातार.....2

18,66,045/– की अन्य कटौतियां दर्शायी गई है, परन्तु उनका सत्यापन नहीं करवाया गया, ओर ना ही लेखा पुस्तकों का सत्यापन करवाया गया। आगे उन्होने अपने कथन में कहा कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को में कहा कि विवादित टर्नओवर में राशि रूपये 13,01,989/– का ग्वार था, इसको प्रत्यर्थी व्यवहारी ने 312 बोरी ग्वारगम बिक्री हेतु भेजी जो वैट एक्ट के तहत् दिनांक 08.02.2007 से कर मुक्त है, तथा ऑयलसीड (सरसों) रूपये 5,64,056/– लॉ (घटिया) क्वालिटी का होने के कारण कर योग्य नहीं माना जा सकता, अतः उन्होने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत वैट 10ए के पार्ट बी के कॉलम 1(i) में राशि रूपये 18,66,045/– की अन्य कटौतियां दर्शायी गई है। इसमें ग्वारगम का टर्नओवर राशि रूपये 13,01,989/– का है, तथा राज्य सरकार की संशोधन अधिसूचना F12(80)FD/Tax/2005-127 dated 08-02-2007 के अनुसार ग्वारगम की बिक्री को कर से मुक्त रखा गया है। अतः इस पर अपीलीय अधिकारी ने आरोपित कर व ब्याज को अपास्त किया है, वह उचित होता है। अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है। परन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा ऑयलसीड (सरसों) की किस्म घटियां बताते हुए तेल की मात्रा कम मानकर कर का भुगतान किया है, जो उचित नही है। अतः इस बिन्दु पर पुनः कर निर्धारण की आवश्यकता होने से इस बिन्दु पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है, कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत ऑयलसीड का पुर्नमूल्यांकन कर पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें।

निर्णय सुनाया गया।

6/9/17

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य